पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 9444 / कु.स. / (अकाउ) का.प. / 2013 रायपुर, दिनांक : 5 / 02 / 2013

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक गुरूवार, दिनांक 24 जनवरी, 2013 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए–

1. डॉ. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2. प्रो. (श्रीमती) आभा रूपेन्द्रपाल	–	सदस्य
3. प्रो. व्यासनारायण दुबे	–	सदस्य
4. प्रो. बी.के. शर्मा	–	सदस्य
5. प्रो. मिताश्री मित्रा	–	सदस्य
6. डॉ. दीपक कारकून	–	सदस्य
7. डॉ. अरविंद गिरोलकर	–	सदस्य
8. डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	–	सदस्य
9. डॉ. एम.आई. मेमन	–	सदस्य
10. डॉ. आर. बाला सुब्रामनियम	–	सदस्य
11. डॉ. जी.बी. गुप्ता	–	सदस्य
12. श्री ललित सुरजन	–	सदस्य
13. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

कार्यवृत्त :

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 14.12.2012 एवं आपात बैठक दिनांक 02.01.2013 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 14.12.2012 एवं आपात बैठक दिनांक 02.01.2013 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान की गई।**

02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 14.12.2012 एवं आपात बैठक दिनांक 02.01.2013 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 14.12.2012 एवं आपात बैठक दिनांक 02.01.2013 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई। आपातिक बैठक दिनांक 02.01.2013 के विषय क्र. 1 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर हुए निर्णयानुसार शिक्षकों को छठवें वेतनमान के फलस्वरूप उन्हें देय एरियर्स की राशि का भुगतान किया जावे।**

03. सत्र 2012–13 के लिये छात्रवृत्ति चयन समिति के गठन पर विचार करना।

निर्णय : **सत्र 2012–13 के लिए विश्वविद्यालय अध्यादेश 9(1)(B)(II) के अंतर्गत ''छात्रवृत्ति चयन समिति'' में निम्नलिखित संकायाध्यक्षों को मनोनीत किया गया :–**

01. डॉ. बी.के. शर्मा	संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय
02. डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेन्द्र पाल	संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय
03. डॉ. आर.पी. दास	संकायाध्यक्ष, प्रबंध संकाय

04. कु. संजना भगत, सहायक प्राध्यापक, जैविकी द्वारा आवेदन दिनांक 17.12.2012 को निरस्त करने एवं 09.11.2012 से 10.12.2012 तक की वेतन एक माह पूर्व सूचना के एवज में कटौती करने पर विचार करना।

निर्णय : **कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 14.12.2012 में हुए निर्णयानुसार कार्यवाही किया जावे। नियमानुसार उनसे 1 माह के वेतन की राशि जमा करायी जावे।**

05. डॉ. बी.एस. ठाकुर, एसोसिएट प्रोफेसर, गणित अध्ययनशाला की प्रतिनियुक्ति दिनांक 07.01.2013 से एक वर्ष के लिए कार्यमुक्त किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **डॉ. बी.एस. ठाकुर, एसोसिएट प्रोफेसर, गणित अध्ययनशाला की प्रतिनियुक्ति दिनांक 07.01.2013 से एक वर्ष के लिए कार्यमुक्त किये जाने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

06. 72 विदेशी शोध पत्रिकाओं के क्रयार्थ अग्रिम चंदा प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णय : **ग्रंथालय विभाग द्वारा 72 विदेशी शोध पत्रिकाओं के क्रयार्थ अग्रिम चंदा दिये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।**

07. ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 19.12.2012 के कार्यवृत्त का अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 19.12.2012 के कार्यवृत्त का अनुमोदन निम्नलिखित निर्णय के साथ का किया गया –**

1. **ग्रंथालय समिति के कार्यवृत्त के निर्णय क्रमांक 3.5.4 में उल्लेखित 10 लाख के स्थान पर वास्तविक उपयोग राशि का उल्लेख किया जाए।**
2. **ब्रेल साहित्य क्रय कर, इसकी ईकाई स्थापित किया जावे।**

08. ए.व्ही.एस. प्रेसीडेन्सी इन्टरनेशनल कालेज, धमतरी रोड, माना, में परिनियम 28 के अन्तर्गत प्राचार्य पद के संबंध में चयन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : ए.व्ही.एस. प्रेसीडेन्सी इन्टरनेशनल कालेज, धमतरी रोड, माना, में परिनियम 28 के अन्तर्गत प्राचार्य पद हेतु चयन समिति द्वारा अनुशंसित नाम डॉ. राजीव सिंह का अनुमोदन किया गया।

यह भी निर्णय लिया गया कि जिन आवेदकों की अनुशंसा की जाती है, उनके पूर्ण बायोडाटा भी संलग्न किया जावे।

09. श्री अजय पांडे, इंदिरा कला, संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक 71/एफ 9–3/2011/38–2 दिनांक 07.01.2013 पर विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, के पत्र क्रमांक 3581/एफ.9–3/2011/38–2 दिनांक 13.10.2011 के द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से योग अनुदेशक पद स्थापना बाबत् जानकारी मांगी गई थी। जिसके प्रत्युत्तर में इस विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 4330/सा.प्रशा./11 दिनांक 23.11.2011 द्वारा योग अनुदेशक की पदस्थापना के संबंध में केवल संलग्नीकरण हेतु अभिमत दिया गया था। क्योंकि यह पद शासन द्वारा इस विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत नहीं है। तत्पश्चात् उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 4044/एफ 9–3/2011/38–2 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्री अजय पाण्डे, योगनिदेशक, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में दर्शन एवं योग विभाग में अनुदेशक के पद पर संलग्न किया गया था।

श्री अजय पाण्डेय द्वारा दिनांक 09.12.2011 को इस विश्वविद्यालय में योग अनुदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया।

खैरागढ़ विश्वविद्यालय के कार्यकारिणी समिति के निर्णय अनुसार श्री अजय पाण्डे, योग अनुदेशक के पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में संलग्नीकरण को निरस्त कर पुनः खैरागढ़ विश्वविद्यालय में पदस्थ करने हेतु शासन को दिनांक 18 मई, 2012 को पत्र भेजा गया, जिसकी प्रतिलिपि इस विश्वविद्यालय को प्रेषित की गई। इस संबंध में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 2482/सा.प्रशा./12 दिनांक 05.07.2012 के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 2561/एफ 9–3/2011/38–2 दिनांक 05.07.2012 के माध्यम से पूर्व जारी आदेश क्रमांक 4043/एफ 9–3/2011/38–2 दिनांक 23.11.2011

में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश की पंक्ति चार में उल्लेखित शब्द "संलग्न" के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति" शब्द प्रतिस्थापित करते हुए श्री अजय पाण्डेय को उपस्थिति दिनांक से वेतन भुगतान पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा अन्य रिक्त पद के विरूद्ध किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त संशोधित आदेश प्राप्त होने पर इस विश्वविद्यालय द्वारा पुनः विस्तृत विवरण सहित पत्र क्रमांक 2915/सा.प्रशा./स्था./2012 दिनांक 01.08.2012 के माध्यम से पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में योग अनुदेशक का पद स्वीकृत न होने एवं खैरागढ़ विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार श्री अजय पाण्डेय को इस विश्वविद्यालय में अनुदेशक के पद पर किये गये संलग्नीकरण/प्रतिनियुक्ति से भारमुक्त करने हेतु अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया गया। उपरोक्तानुसार प्रेषित पत्र के संदर्भ में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नही होने के कारण श्री अजय पाण्डेय को मूल विभाग में कार्यभार ग्रहण करने हेतु आदेश क्रमांक 3414/स्था./सा.प्रशा./12 दिनांक 07.09.2012 के द्वारा कार्यमुक्त किया गया।

इसी संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र क्रमांक 71 दिनांक 07.01.2013 प्राप्त हुआ, जिसमें निर्देशित किया गया है कि श्री अजय पाण्डेय को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 09.12.2011 से वेतन का भुगतान रिक्त पद के विरूद्ध प्रदाय करते हुए इस विभाग को अवगत कराया जावे।

विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही की पुष्टि करते हुए अनुमोदन किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा केवल संलग्नीकरण हेतु सहमति प्रदान किया गया था। अतः प्रतिनियुक्ति अमान्य किया जावे। इस विश्वविद्यालय द्वारा वेतन भुगतान नहीं किया जावे। सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार प्रस्ताव मान्य किया है।

"उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत सेटअप में प्रतिनियुक्ति हेतु चिन्हित पदों पर मूल विभाग एवं विश्वविद्यालय की सहमति के बाद ही प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जावे।

10. वाहन क्रं. सी.जी. 04, बी 9395 को विक्रय कर नये वाहन SX4 MARUTI SUZUKI पेट्रोल गाड़ी DGS&S दर पर क्रय करने पर विचार करना

निर्णय : वाहन क्रं. सी.जी. 04, बी 9395 को विक्रय कर नये वाहन **SX4 MARUTI SUZUKI** पेट्रोल गाड़ी **DGS&S** दर पर क्रय संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

11. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतर्गत आबंटित राशि में से राशि रू. 30.00 लाख की पुस्तकों के क्रय के लिए सक्षम प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतर्गत आबंटित राशि में से राशि रू. 30.00 लाख की पुस्तकों के क्रय के लिए सक्षम प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।**

पूरक विषयसूची

01. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (DST) नई दिल्ली से शोध परियोजना हेतु प्राप्त अनुदान राशि रू. 26,48,000=00 से UV-Visible Spectro Photometer क्रय करने के लिये प्रशासकीय अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (DST) नई दिल्ली से शोध परियोजना हेतु प्राप्त अनुदान राशि रू. 26,48,000=00 से UV-Visible Spectro Photometer क्रय करने के लिये प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।**

02. विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क के वार्षिक रखरखाव के लिये वर्तमान में कार्यरत फर्म M/S. Key Computer Nagpur को आगामी एक वर्ष के लिये (दिनांक 01.01.2013 से) वार्षिक रखरखाव अनुबंध में किये गये वृद्धि की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क के वार्षिक रखरखाव के लिये वर्तमान में कार्यरत फर्म M/S. Key Computer Nagpur को आगामी एक वर्ष के लिये (दिनांक 01.01.2013 से) वार्षिक रखरखाव अनुबंध में किये गये वृद्धि की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

03. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 23.01.2013 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 23.01.2013 के कार्यवृत्त का अनुमोदन निम्नलिखित निर्णय के साथ किया गया –

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 23.01.2013 के बिंदु क्रमांक 2.4 में निरीक्षण समिति के टीप पर स्पष्ट जानकारी आवश्यक है, अतः स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर पुनः निरीक्षण कराई जाए।

04. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 17.01.2013 के कार्यवृत्त का अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 17.01.2013 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

05. श्री कनक तिवारी, अधिवक्ता के लंबित देयक पर विचार करना।

निर्णय : श्री कनक तिवारी, अधिवक्ता के लंबित देयक प्रकरण पर निर्णय लिया गया कि वर्तमान में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में विश्वविद्यालय की ओर से पैरवी करने हेतु अधिकृत पैनल लायर के लिए प्रत्येक प्रकरण पर निर्धारित राशि एवं उसके भुगतान की प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण कर प्रस्तुत किया जावे।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण

01. समाजशास्त्र विषय में **CAS Promotion** के अंतर्गत **Screening cum evolution Committee** द्वारा **Stage-2** से 3 के लिए पदोन्नति हेतु निम्नानुसार शिक्षकों के अनुशंसित नाम का अनुमोदन किया –

1. डॉ. जे.एल. तिवारी	20.09.2012 से
2. डॉ. एल.एस. गजपाल	22.09.2012 से

02. वर्ष 2013 की परीक्षाओं के लिए गोपनीय मुद्रण का अनुमोदन किया गया।

03. दिनांक 03.02.2012 से 21.01.2013 तक कुल 102 शोधार्थियों को पी.एच–डी. के लिए जारी गई अधिसूचना का सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

04. **University Industries Partnership Council** के सचिव डॉ. आर.पी. दास ने सूचित किया है कि इस क्षेत्र के उद्योगपति एवं समाजसेवी, श्री सीताराम अग्रवाल विश्वविद्यालय परिसर में जमीन उपलब्ध कराने पर, कन्या छात्रावास के निर्माण के लिए सहमत हैं।

कार्यपरिषद् के सभी सदस्यों द्वारा इस निर्णय का स्वागत करते हुए सिद्धांततः सहमति प्रदान किया गया एवं कन्या छात्रावास के विस्तार अथवा नये कन्या छात्रावास के निर्माण के लिए पूर्व निर्मित कन्या छात्रावास से जुड़े जमीन आरक्षित किया जावे। आरक्षित जमीन में से आवश्यकतानुसार जमीन आबंटित किया जावे। इस संबंध में समिति गठित कर **M.O.U.** तैयार करते हुए आगे की कार्यवाही किया जाए।

05. विश्वविद्यालय द्वारा सभी सदस्यों को कार्यपरिषद में कर्मचारी वर्ग से एक सदस्य को निर्वाचित पद्धति से प्रतिनिधित्व प्रदान किये जाने के प्रावधान के संबंध में विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के पत्र शासन को अग्रेषित करने की जानकारी दी गई। निर्णय लिया गया कि उच्च शिक्षा विभाग को कर्मचारी संघ के पत्र संलग्न कर अग्रेषित किया जावे।

06. 19वीं दीक्षांत समारोह के संबंध में कुलपति ने सभी सदस्यों को जानकारी दी कि मुख्य अतिथि के लिए भारत के उद्योगपति श्री रतन टाटा एवं इसी क्रम में अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से चर्चा की जा रही है।

07. डॉ. दीपक कारकून सदस्य कार्यपरिषद द्वारा शोध शिक्षण शुल्क का शोध केन्द्रों को आबंटन के संबंध में पत्र प्रस्तुत किया जिसे परीक्षण कर आगामी कार्यपरिषद् में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।

(डॉ.एस.के पाण्डेय)
अध्यक्ष

(के.के. चन्द्राकर)
सचिव

पृ. क्रमांक : 9445/अका/कु.स./का.प./2013 रायपुर, दिनांक : 5 /02/2013

प्रतिलिपि :–

1. माननीय कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
3. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यो को ।
4. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त अधिकारी/प्रभारी अंकेक्षण,
6. समस्त विभागीय अधिकारी,
7. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

5/2/13

प्रभारी अधिकारी (अका.)